भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

बोइंग 787 विमानों की विस्तारित निगरानी

1. श्री प्रमोद तिवारी:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारतीय विमान बेड़े में वर्तमान में मौजूद बोइंग 787 विमानों की विस्तारित निगरानी का आदेश दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत पाँच वर्षों के दौरान बोइंग विमानों में इंजन बंद होने, उड़ान नियंत्रण में विफलता, केबिनों में धुआँ, हाइड्रॉलिक रिसाव आदि जैसी तकनीकी समस्याएं बार-बार पाई गईं हैं;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश के विमानन क्षेत्र को प्रभावित करने वाली संरचनात्मक समस्याओं और पायलटों की बढ़ती कमी से निपटने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): नागर विमानन महानिदेशालय के पास एक संरचित निगरानी और संपरीक्षा फ्रेमवर्क मौजूद है, अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें रखरखाव परिपाटियों की निरंतर निगरानी सहित सभी प्रचालकों की नियमित और आवधिक संपरीक्षा, स्पॉट चैक्स, रात्रि निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं।

दिनांक 12.06.2025 को अहमदाबाद में मैसर्स एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 बोइंग 787 विमान की दुर्घटना के बाद, नागर विमानन महानिदेशालय ने 13.06.2025 को निवारक उपाय के रूप में मैसर्स एअर इंडिया को नागर विमानन महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वय में बोइंग 787-8/9 की अतिरिक्त जाँच करने का निर्देश दिया। वर्तमान में केवल एअर इंडिया ही देश में बोइंग 787-8/9 विमान का परिचालन कर रही है।

(ग) और (घ): तकनीकी खराबी/गड़बडियां विमान के परिचालन के दौरान होने वाली वाली सामान्य घटनाएं हैं। इंजन बंद होना, उड़ान नियंत्रण विसंगतियाँ, केबिन में धुआँ,

हाइड्रोलिक रिसाव आदि जैसी तकनीकी समस्याएँ सभी प्रकार के विमानों के परिचालन के दौरान उत्पन्न हो सकती हैं।

जब भी उड़ान के दौरान ऐसी तकनीकी समस्याएँ आती हैं, तो मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आपातकालीन या एहतियाती लैंडिंग सहित एहतियाती उपाय अनिवार्य किए गए हैं। विमान को अगली उड़ान के लिए भेजने से पहले, प्रमाणित अनुरक्षण कर्मियों द्वारा सूचित की गई सभी तकनीकी खराबियों की गहन जाँच की जाती है और उन्हें ठीक किया जाता है। किसी भी विमान को तब तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाती जब तक कि उसे विनिर्माता के दिशानिर्देशों और लागू विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार उचित सुधारात्मक कार्रवाई के बाद उड़ान योग्य घोषित नहीं कर दिया जाता।

(ङ) : भारत में वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त पायलटों की कोई कमी नहीं है जिससे एयरलाइनों पर असर पडता हो। कुछ प्रकार के विमानों पर कमांडरों की कमी होने की स्थिति में, एयरलाइनें विदेशी विमान चालकदल अस्थायी प्राधिकार (एफएटीए) के माध्यम से विदेशी पायलटों का उपयोग करके व्यवस्था करती हैं।

******